

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेल लेवल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर
कन्नौज, मैनपुरी।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2013

विषय- समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत 2 परियोजनाओं के इंस्टीट्यूशनल एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग मद में 1.4 प्रतिशत, एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 32.35 प्रतिशत, लाइवलीहुड एक्टीविटिज मद में 5 प्रतिशत प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रोइन्टरप्राइजेज मद में 5 प्रतिशत एवं मॉनिटरिंग मद में 0.325 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० के-11013/19/2012/आईडब्ल्यूएमपी0 (यूपी0) दिनांक 17.01.2013 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश एवं प्रदेश शासन के शासनादेश सं० 70/54-1-2012-8(23)/2011 टी0सी0 दिनांक 18.02.2013 द्वारा प्राप्त राज्यांश (अनुपात क्रमशः के०:रा०-90:10) को परियोजना मद की धनराशि इंस्टीट्यूशनल एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग मद में 1.4 प्रतिशत, एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 32.35 प्रतिशत, लाइवलीहुड एक्टीविटिज मद में 5 प्रतिशत प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रोइन्टरप्राइजेज मद में 5 प्रतिशत एवं मॉनिटरिंग मद में 0.325 प्रतिशत की धनराशि को समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित इकाईयों के परियोजनावार खोले गये खातों में स्थानान्तरित की जा रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

(धनराशि करोड़ में)

S. No	Name of The District (2 Projects)	Project Name	Bank Name	Account No.	MON	CB	WDW	LIV.	P.S.&M	ADM.	Total Amount
					0.325%	1.4%	32.35%	5%	5%	2.7%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kannuj	IWMP-1	Punjab National Bank	4591000100020974	0.0194571	0.0838152	1.9367298	0.2993400	0.2993400	0.1616436	2.8003257
2	Mainpuri	IWMP-1	State Bank of India	31172341807	0.0156156	0.0672672	1.5543528	0.2402400	0.2402400	0.1297296	2.2474452
					0.0350727	0.1510824	3.4910826	0.5395800	0.5395800	0.2913732	5.0477709

(रु० पांच करोड़ चार लाख सतहत्तर हजार सात सौ नौ रूपये मात्र)

1- परियोजना मद की धनराशि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी तथा परियोजना प्रबन्धक के नाम से खोले गये परियोजना के बचत खाते में जमा होंगे। परियोजना मद की इस धनराशि का आहरण जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी एवं परियोजना प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा तथा लेखों का मिलान बैंक से नियमानुसार समय-समय पर कराया जायेगा।

2- परियोजना मद की धनराशि स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी को सूचित किये गये बैंक के परियोजना बचत खाते में रखा जायेगा तथा व्यय स्वीकृत मदों में ही स्वीकृत सीमा तक सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा। इस धनराशि को किसी अन्य बैंक या किसी अन्य खाते में नहीं रखा जायेगा और न ही किसी प्रकार के सावधिजमा (अल्पकालीन/मध्यकालीन) खाते में रखा जायेगा।

